

विषय:

विषय :- मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटीशन नं. 2260/2016 में प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत।

का विभाग

कृपया राज्य वस्त्र निगम से प्राप्त पत्र का अवलोकन करें। मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री अभिलास चन्द्रा द्वारा म.प्र. शासन तथा अन्य के विरुद्ध दायर रिट पिटीशन क. 2260/2016 में प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का निवेदन प्राप्त हुआ है।

2/ प्रकरण में राज्य शासन की ओर से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तदनुसार प्रस्ताव मान्य होने की दशा में प्रभारी अधिकारी की नियुक्त के आदेश का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

A'

ADP (M)

USC/

DS (K)

PA

A' का प्रस्ताव कृपया अनुमोदित करें।

21/3/16

SS

3/3

5.3.16

(जो एड (मैना. L) उप निधन

3/3

3.3.16

SS

ADP (S)

ADP (N)

0

जो एड (मैना. L)

3/3

4/7/16

43/DSK/CEJ
03 MAR 2016

No. 701 PSC&ME
Date 03/3/2016

2

कृष्णीस-२ सचिवालय

कमांक 612/2016/बी-ग्यारह

विषय:

विषय :- मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटीशन नं. 2260/2016 में प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत।

का विभाग

OIC के अदर जल्दी कर दिये गये
प्रतिरथ जल्दी करे देय नल्दी
विधि विभाग को अंकित करना इस्तेमाल

USC/

DS(K)

4/2

5731/116

SS

573

Lower Dept.

1/11/16

46/054/cej
08 MAR 2016

UO.No:-61/2016/B-11
11/03/2016

माहर

7533

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ०५/०३/२०१६

क्र० ७३९ /६१२/२०१६/बी-ग्यारह सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का अधिनियम संख्या-५) के आदेश सत्ताईस के नियम-१ तथा २ के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मा० उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटीशन नं. २२६०/२०१६ श्री अभिनास चन्द्रा द्वारा म.प्र. शासन एवं अन्य के विरुद्ध राज्य वस्त्र निगम में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी के रूप में जबाब दावा, संगत आवेदन एवं अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिए गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा, जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन हेतु महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, निगम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, कि एक रिपोर्ट तैयार करें।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करें।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायें।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
(घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

11. जैसे ही उसे स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अ0शा0 पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी नहीं रह जाये।
13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अन्य अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतः यह आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करे।
15. यदि प्रतिवादियों की सूची में मुख्य सचिव का नाम अंकित है तो प्रभारी अधिकारी प्रतिवादियों की सूची से मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने की कार्यवाही करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 04/3/2018

पृ0क0 734 6012/2018/बी-ग्यारह

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र.,
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
 3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 4. कलेक्टर, जिला जबलपुर म.प्र.,
 5. प्रबंध संचालक, म.प. राज्य वस्त्र निगम, भोपाल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित के साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी सेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट एक प्रति इस विभाग के साथ के विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग



**Madhya Pradesh
State Textile Corporation Ltd.**
(A GOVT. OF MADHYA PRADESH UNDERTAKING)

Ref: STC/Legal/2016/1456
प्रति,

Bhopal, Date 27-2-16

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।



विषय: मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटिशन नं. 2260/2016 में
प्रकरण प्रभारी नियुक्त करने बावत्।

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटिशन नं. 2260/2016
श्री अविनाश चन्द्रा (सेवा निवृत्त कर्मचारी) विरुद्ध म.प्र. स्टेट टेक्सटाइल कार्पो.लि.
भोपाल तथा अन्य में निगम की ओर से प्रतिरक्षण (~~Protest~~) हेतु महाप्रबंधक, जिला
व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु आदेश
जारी करने का कष्ट करें।

उपरोक्त रिट पिटिशन की प्रति संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक
म.प्र. स्टेट टेक्सटाइल कार्पो.लि.
भोपाल

29 FEB 2016

DS(K)

R-
06 (ADIAN)
1-3-16

Address: 6th Floor, Room No.607, Vindhyachal Bhavan, Bhopal(M.P.) Tel. 0755-2555838



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Humidast

Case Id: 24242/2016

WP/2260/2016

[FOR ADMISSION and I.R.]

Fixed for 29-02-2016

WP-DA-16

Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

To,

M.p. State Textile Corporation,
~~Managing~~ Managing Director Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 10-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/
2260/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Avinash Chandra** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/2260/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **29-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

DD(STC)



Your faithfully

C
12-2-16
DEPUTY REGISTRAR

1 of 2

Wednesday 10 February 2016 01:04 PM

